(127)

267-PBR/13

पोस्ट द्वारा आज ... को प्राप्त 1/1/13 ... ऑफ कोर्ट ... म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर

राजस्व पुनरिक्षण याचिका

प्रस्तुत दिनांक 3.1.13

1. श्रीमती जुबेदा बी. पुत्री अब्दुल पति रशीद निवासी ग्राम भोजाखेडी तह. व जिला खंडवा म०प्र०

-----आवेदक/आपत्तिकर्ता

(विरूद्ध)

1. रमेश पिता बाबूलाल आयु 40 साल

2. नन्देलाल पिता बाबूलाल आयु 42 साल

दोनों निवासी ग्राम पिपल्यातहार जाति बलाही पेशा काश्तकारी तहसील व जिलाखंडवा

------अनावेदकगण

पुनरिक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

आवेदक/आपत्तिकर्ता की ओर से निम्ननिवेदन हैं कि :-

1. यह कि आवेदक/आपत्तिकर्ता न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय खंडवा के रा०प्र०क्रं० 14/अ-6-अ/10-11, में पारित आदेश दिनांक 17.12.12, जिसके द्वारा आपत्तिकर्ता/का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 151 एवं धारा 32 म०प्र०भू०रा०सं० का प्रस्तुत किया हैं । जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हैं जिससे दुखी पीडित एवं असंतुष्ट होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर राजस्व पुनरिक्षण प्रस्तुत करता हैं :-

2......

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 267-पीबीआर/2013 जिला खण्डवा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	